न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/38

बृजमोहन आयु 58 वर्ष आत्मज श्री सोनिया जाति माली निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. यीतेन्द्र शर्मा आत्मज ध्रुवदेव जाति ब्राह्मण निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमन्त कुमार योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 88 खसरा नम्बर 68 रकबा 2.37 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर प्रार्थी ने सिंचाई हेतु कुआ खुदवा रखा है जिस पर करीब 40 वर्षो से प्रार्थी व प्रार्थी से पूर्व प्रार्थी के पिता का कब्जा काश्त है । उक्त भूमि पर जाने का रास्ता वर्तमान खसरा नम्बर 60, 61, 64 एवं 65 में होकर है । प्रार्थी के खेत पर आने–जाने का रास्ता स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त भूमि पर प्रार्थी को फसल करने से वंचित होना पड रहा है । प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 65 माताजी कि डोहली की मेर के सहारे होकर खसरा नम्बर 64, 60 एवं 61 में से निकलता है जिससे प्रार्थी पिछले 50 वर्ष से आता–जाता रहा है परन्तु अप्रार्थी कम 1 ने रंजिशवश प्रार्थी के खेत का रास्ता बन्द कर दिया हे जिसको प्रार्थी डी.एल.सी दर से अप्रार्थीगण को मुआवजा देने को तैयार है

3. अतः प्रार्थी को अपने कब्जे अधिकार की कृषि भूमि पर आने–जाने का रास्ता डी.एल.सी. दर पर 12 फिट चौडा प्रार्थी को पैसा जमा कर स्थायी रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का आदेश पारित करे व रास्ते का तरमीम राजस्व नक्शे में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.10.2015 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् अप्रार्थी यतिन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 30.09.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 144, 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बृजमोहन ने यह कार्यवाही खसरा नम्बर 68 वाके सुमेरगंजमण्डी में पहुंचने के लिये रास्ते हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की है । वादी की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है । चूँकि वादी/प्रार्थी उक्त आराजी खसरा नम्बर 68 का टेनेन्ट या सब टेनेन्ट नहीं है और उक्त आराजी दरा माताजी इन्द्रगढ के खाते में अंकित है तथा कार्यवाही के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थी बृजमोहन जैली दर्ज है व अतिक्रमी है । धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिर्फ खातेदार या उपखातेदार द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है तथा कार्यवाही अतिक्रमी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । प्रार्थी की कार्यवाही जारी रहना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.11.2017 के द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 यीतेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 144, 151 सीपीसी का स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 2.37 हैक्टर वाके सुमेरगंजम मण्डी पर काबिज काश्त है । खाता संख्या 90 पुरानी 88 में मंदिर बिजासन माता जी स्थान खातेदार जैली बृजमोहन आत्मज सानिया जाति माली दर्ज चला आ रहा है । प्रार्थी उपकृषक के रूप में अपने पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं । उक्त तथ्य पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । प्रार्थी अपीलान्ट ने धारा 251 – क के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि समरी प्रोसेडिंग के रूप में आती है न कि वाद की श्रेणी में आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने समरी ट्रायल के प्रार्थना पत्र को जैली द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता– अंकित करते हुए खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा खाता संख्या 88 खसरा नम्बर 68 वाके ग्राम सुमेरगंजमण्डी जिस पर अपीलान्ट बहैसियत जैली काबिज काश्त है पर रास्ता कायत करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क पेश किया था । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र

आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश किया और यह कथन किया कि धारा 251–क का प्रार्थना पत्र खातेदार या उपखातेदार ही पेश कर सकता है । प्रार्थी अतिक्रमी है और जैली दर्ज है जिसे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट प्रार्थी खसरा नम्बर 68 पर काबिज काश्त है । संवत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी में अपीलान्ट जैली दर्ज है । जैली उपकृषक ही होता है जिन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । धारा 251–क का प्रार्थना पत्र दावे की श्रेणी में नहीं आता है जिसे आदेश 07 नियिम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के निर्णय दिनांक 20.02.2004 को अपास्त किया जा चुका है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । खसरा नम्बर 68 के समीप अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में एआईआर 1998 (एससी) पेज 634, आरआरडी 1987 पेज 375, आरआरडी 2006 पेज 73, आरआरडी 2004 पेज 246 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज है जो कि शास्वत नाबालिग है । अपीलान्ट को इस आराजी के बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में इसी आधार पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था । न तो प्रार्थी अपीलान्ट खातेदार है और न ही उपकृषक है । अपीलान्ट अतिक्रमी की हैसियत से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है जिनके खिलाफ परीक्षण न्यायालय द्वारा बेदखली की डिक्री पारित की जा चुकी है । अपीलान्ट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । उनके स्वयं के खाते में खसरा नम्बर 45 दर्ज है जिसमें से होकर रास्ता कायत किया जा सकता है । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय आरआरडी 1994 पेज 01 के अनुसार जैली को न तो खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं और न ही उसको उपकृषक माना जा सकता है । धारा 141 सीपीसी के अनुसार दावे के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया निर्धारित है वो सभी कार्यवाहियों पर लागू की जा सकेगी और धारा 151 सीपीसी के तहत न्यायालय अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके आदेश प्रसारित कर सकता है । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1977 (एससी) पेज 2421, 2008 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 1390, आरएलडब्ल्यू 2004 (2) (एससी) पेज 210, 1994 आरआरडी पेज 01 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 2.37 हैक्टर में रास्ता कायम करने की प्रार्थना की है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 2.37 हैक्टर भूमि मंदिर श्री बीजासन माताजी खातेदार जैली बृजमोहन पुत्र सोनिया दर्ज है । नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भी पत्रावली में संलग्न की गई है ।

12. रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें आपत्ति की गई है कि प्रार्थी अपीलान्ट को धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री बीजासन माताजी के खाते में दर्ज है जो शास्वत नाबालिग है । अपीलान्ट अतिक्रमी की हैसियत से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है

जिनके खिलाफ उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.02.2004 के द्वारा बेदखली की डिक्री पारित की जा चुकी है और यह निर्णय किसी अपीलेट न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 05.12.2004 की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है ।

13. अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि मंदिर मूर्ति के खाते में दर्ज है के लिए रास्ता कायम करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है । राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी के खातेदार मंदिर मूर्ति हैं और अपीलान्ट को जैली दर्ज किया गया है । प्रार्थना पत्र खातेदार मूर्ति मंदिर की ओर से पेश नहीं किया गया है वरन् प्रार्थी अपीलान्ट ने व्यक्तिगत हैसियत से पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क यह मानते हुए खारिज किया है कि धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र जैली के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट का कथन है कि धारा 251 क का प्रार्थना पत्र खातेदार एवं उपकृषक के द्वारा पेश किया जा सकता है और अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने आरआरडी 1987 पेज 375 उद्धरत की है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जैली को उपकृषक माना जावे परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आरआरडी 1994 पेज 01 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कोटा स्टेट के समय जिन काश्तकारों की हैसियत जैली के रूप में दर्ज है उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते और इसमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि धारा 45, 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैली को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते और उसे उपकृषक भी नहीं माना जा सकता ।

14. इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट को धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । आरएलडब्ल्यू 2008 पेज 1390 भी यहाँ चस्पा होती है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा